

21931 कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या: /सात लाई०एस०-42/ व्यव०/2023-24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति/दे०दून, दिनांक: मार्च, 31, 2023

**विज्ञप्ति**

आयुक्तालय की विज्ञप्ति संख्या: 23492/सात लाई०एस०-42/व्यव०/ 2023-24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति दे०दून, दिनांक: मार्च, 24, 2023 के द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण में मदिरा दुकान के नवीनीकरण/लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि व जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी की स्वीकृति की तिथि हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। उक्त निर्धारित कार्यक्रम पर माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या: 08 of 2023 (M/B) "Naveen Chandra Arya Vs. State of Uttarakhand and others व याचिका संख्या: 06 of 2023 (M/B) "Vikas Chandra Vs. State of Uttarakhand and others में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 29.03.2023 को विज्ञप्ति दिनांक 24.03.2023 पर status-quo रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे।

तदक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उपरोक्त रिट याचिकाओं में दिनांक 31.03.2023 को पारित आदेश के क्रम में आयुक्तालय की विज्ञप्ति संख्या: 23492/सात लाई०एस०-42/व्यव०/2023-24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति दे०दून, दिनांक: मार्च, 24, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 220/XXIII-1/2023/04(03)/2023 देहरादून: दिनांक: 22, मार्च, 2023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक) हेतु घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2023 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु सी०एल०-5सी (देशी शराब/बीयर) तथा एफ०एल०-5 डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) की फुटकर दुकानों का दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष मदिरा दुकानों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु द्वितीय चरण में व्यवस्थापन किये जाने के लिये कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक व समय
01	द्वितीय चरण लॉटरी	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि
	लॉटरी की तिथि	दिनांक 05.04.2023 समय अपराह्न 03.00 बजे तक दिनांक 05.04.2023 के अपराह्न 05.00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक

**नोट:-** उक्त चरण के पश्चात् मदिरा दुकानों का आवंटन पूर्ण राजस्व पर प्रथम आवक प्रथक पावक के सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्तें विभागीय बेबसाईट [www.uttarakhandexcise.org.in](http://www.uttarakhandexcise.org.in) से तथा आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्तें व लॉटरी हेतु दुकानों के राजस्व का विवरण सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(हरिचन्द्र सेमवाल)  
आबकारी आयुक्त  
उत्तराखण्ड।

21932 - 21939

संख्या: /सात लाई०एस०-42/ व्यव०/2023-24/सा०निर्देश/विज्ञप्ति/दे०दून, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट [www.uk.gov.in](http://www.uk.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. अपर आबकारी आयुक्त, आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को उत्तराखण्ड शासन की बेबसाईट [www.uttarakhandexcise.org.in](http://www.uttarakhandexcise.org.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग को उत्तराखण्ड के समस्त संस्करणों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
8. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित समाचार पत्र में दिनांक 01.04.2023 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित कराते हुए विज्ञप्ति के बिल की प्रति भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(हरिचन्द्र सेमवाल)  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।